


शुभम  
10-7-19 प्राची मय वकील प्राची  
उपस्थित। प्राची की ओर से एक  
प्राचीना पत्र पेश किया कि प्रकरण में  
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं ना  
हि प्रकरण को चलाना चाहते हैं प्राची  
के प्राचीना पत्र के आधार पर प्राचीना  
पत्र काबल अस्थायी निषेधाज्ञा खारीजा  
किया जाता है पत्रावली फैनल शुमार  
होकर नम्बर से कम होकर दाखील दफ्तरे।

  
( अंजु शर्मा )  
सहायक कलक्टर  
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना